अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2022/60 रीवा, दिनांक : 1-2-2022

प्रति,

डॉ. आर.के. शर्मा
प्राचार्य
अशासकीय इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय
न्यू रामनगर, जिला सतना (म.प्र.)

विषय – **माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 16127/2021 के निर्णय दिनांक 14–12–2021 से संबंधित डॉ. आर.के. शर्मा, प्राचार्य, अशासकीय इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, जिला सतना (म.प्र.) के पत्र दिनांक 15/01/2022 के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, डॉ. आर.के. शर्मा, प्राचार्य, अशासकीय इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, जिला सतना द्वारा कार्यपरिषद में मनोनयन हेतु याचिका क्रमांक 16127 दिनांक 2021 पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा W.P.No.16127/2021 दिनांक 14–12–2021 को दिए गए निर्णय के आलोक में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

समिति के समक्ष अभिलेख विश्वविद्यालय के विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11–05–2021 के कार्यवृत्त क्रमांक/अकादमिक/स्थायी समिति/2021/484 रीवा, दिनांक 24–05–2021 के बिन्दु क्रमांक 5 में यह उल्लेख किया गया है कि इस महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2012–13 से समाप्त हो चुकी थी। इस अवधि में महाविद्यालय में कोई भी प्रवेश नहीं दिया गया तथा सम्बद्धता शुल्क भी नहीं जमा किया गया तथा पुनः नवीन सत्र 2017–18 से संबद्धता प्रदान की गई। ऐसी स्थिति में परिनियम–28 कालेज कोड के अन्तर्गत प्राचार्य के अनुमोदन मान्य/अमान्य किए जाने पर विचार करते हुए **विद्या परिषद की स्थायी समिति द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रमाकांत शर्मा की प्राचार्य संवर्ग में वरिष्ठता 16–06–2017 से मान्य करने का निर्णय लिया और विश्वविद्यालय द्वारा जारी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची (01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक) में परिनियम–19 के तहत संशोधन हेतु निर्देशित किया** – *संलग्नक–1/*

विद्या परिषद की स्थायी समिति के निर्णय को कार्य परिषद द्वारा मान्य किए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय ने **01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक** के लिए जो वरिष्ठता सूची जारी की है, उसमें डॉ. शर्मा का नाम प्राचार्य संवर्ग में क्रमांक–28 पर अंकित है – *संलग्नक–2/* । महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त हो जाने के बाद प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति भी प्रभाव शून्य हो जानी चाहिए। अतः प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति तथा विज्ञापन जारी कर कालेज कोड 28 के अनुसार किया जाना चाहिए।

फिलहाल चूंकि विद्या परिषद की स्थायी समिति एवं कार्य परिषद द्वारा प्राचार्य की वरिष्ठता का निर्धारण किया जा चुका है, अतः कार्य परिषद में उनके मनोनयन पर उक्त के आलोक में ही निर्णय लिया जाना उपयुक्त होगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका में इस तथ्य को छुपाया कि उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता वर्ष 2012 में समाप्त हो चुकी थी – *संलग्नक–3/*

.....2

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक/विकास/2013/70 दिनांक 29–1–2013 के द्वारा महाविद्यालय की सम्बद्धता सत्र 2012–13 से समाप्त की गई थी, जिसकी जानकारी पत्र क्रमांक/विकास/2013/70 दिनांक 29–01–2013 द्वारा आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन को भेजी गई थी – *संलग्नक–4।*

पत्र क्रमांक/विकास/2016/45 दिनांक 15–1–2016 द्वारा कुलसचिव ने शासी निकाय को सूचित किया कि आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवेदन करें – *संलग्नक–5।*

पत्र क्रमांक/विकास/2017/516 दिनांक 16–6–2017 द्वारा 05 वर्ष के बाद दोबारा 2017 में उसको नयी सम्बद्धता प्रदान की गई थी। शैक्षणिक सत्र 05 वर्ष तक संचालित नहीं रहा – *संलग्नक–6।*

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत सभी प्रावधानों के अंतर्गत लाभ की अपेक्षा महाविद्यालय के परिनियम 27 के अंतर्गत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होने की स्थिति में ही मिल सकती है।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में विश्वविद्यालय अधिवक्ता के कथन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध न होने से उस पर विचार करना संभव नहीं हो सका।

कार्य परिषद द्वारा मई 2021 में लिए गये निर्णय के आलोक में प्रकरण अमान्य किये जाने योग्य है।

संलग्न – संलग्नक क्रमांक 1 से 6 तक।

भवदीय

01/02/22

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 16127/2021 के निर्णय दिनांक 14–12–2021 के संबंध में सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, शासी निकाय, अशासकीय इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, जिला सतना (म.प्र.)।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रीवा संभाग, रीवा।
5. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
6. सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेन्टर, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
7. कुलपति जी के सचिव
8. कुलसचिव के निज सहायक।
9. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

01/02/2022

सहायक कुलसचिव (विकास)